राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141–5114117, E-mail : jdagr_wuc@rediffmail.com

कमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/पीएमकेएसवाई/जलहौज/2017–18/1628–1783 दिनांक : 17/05/2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, जयपुर/अजमेर/दौसा/कोटा/सीकर/झुन्झुनू/भीलवाड़ा/बीकानेर/चूरू/
जोधपुर/बाड़मेर/नागौर/जालौर/पाली/सिरोही/जैसलमेर/बूंदी/राजसमंद/ हनुमानगढ़ ।

विषयः– वर्ष 2017–18 मे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत जलहौज निर्माण कार्यक्रम कियान्वयन के दिशा निर्देश।
प्रसंगः– कृषि निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 434–594 दिनांक 24.04.2017।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में जलहौज निर्माण कार्यक्रम कियान्वयन के क्रम मे जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु योजनान्तर्गत दिशा निर्देश मय प्रस्तावित लक्ष्य संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। वर्ष 2017–18 मे ऑन–लाईन प्राप्त आवेदनो पर ही अनुदान प्रकिया की कार्यवाही की जावे। माह जून–जुलाई, 2017 में शिविर आयोजित कर कृषकों से जलहौज निर्माण के ऑन–लाईन अधिकाधिक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

दिशा निर्देशों के अनुसार प्रगति प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई–मेल व हार्ड कापी मे भिजवाया जाना सुनिश्चित् करावे।
संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त कृषि
दिनांक : 17/05/2017

कमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/पीएमकेएसवाई/जलहौज/2017–18/1628–1783
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, बीकानेर/कोटा/जोधपुर।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, समस्त..... ।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा ।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ ।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
16. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/उद्यान, मु0 जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन/आदान/ विस्तार/आईसोपोम/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
18. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जयपुर/कोटा/जोधपुर/श्रीगंगानगर/भीलवाड़ा/बीकानेर/जालौर/सीकर खण्ड स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
19. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
20. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
21. ए.सी.पी, कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
22. परियोजना /उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, जयपुर/अजमेर/दौसा/कोटा/सीकर/झुन्झुनू /भीलवाड़ा/बीकानेर/चूरू/जोधपुर/बाड़मेर/नागौर/जालौर/पाली/सिरोही/जैसलमेर/बूंदी/राजसमंद/ हनुमानगढ़ समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
23. संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ...

17.5.2017
(आर. डी. सिंह)
संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ

जल हौज निर्माण के मुख्य प्रभावी बिन्दू

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत जिला सिंचाई योजना पर आधारित कार्यक्रम।
- कार्यक्रम जिला सिंचाई योजना में अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर।
- राज्य के जिले जहॉ भूमिगत जल स्तर अत्यधिक गहरा है।
- कृषक के पास न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि।
- भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के दिशा निर्देशों के मध्य नजर जलहौज पर अनुदान का विवरण :–

न्यूनतम आकार	सभी श्रेणी के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम देय अनुदान
100 घन मीटर या 01 लाख लीटर भराव क्षमता	लागत का 50 प्रतिशत या राशि रू. 350/– प्रति घन मीटर भराव क्षमता या अधिकतम रूपये 75000/–, जो भी कम हो।

- आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य।
- जिले को आवंटित लक्ष्यो का उप निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा जिलें में स्थित उप जिलेंवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जावेगा। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के द्वारा आवंटित लक्ष्यों का विभाजन ब्लॉकवार किया जावेगा जिसका अनुमोदन जिला कार्यालय के माध्यम से खण्डीय संयुक्त निदेशक कार्यालय से प्राप्त किया जावेगा।
- जल हौज का निर्माण से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग।
- अनुदान राशि कृषक के खाते मे जमा।
- निर्धारित लक्ष्यो मे 10–15 प्रतिशत श्रमिक कार्य मनरेगा के माध्यम से।
- सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र,
    - कुल लक्ष्यो में से,
        - अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत,
        - अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत,
        - लघु/सीमान्त कृषकों को 33 प्रतिशत एवं महिला श्रेणी कृषकों को 30 प्रतिशत भागीदारी हेतु प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

*उपरोक्त संक्षिप्त विवरण को ध्यान में रखते हुये संलग्न विस्तृत दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

वर्ष 2017–18

जल हौज निर्माण कार्यक्रम के दिशा निर्देश

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में जल हौज निर्माण कार्यक्रम के अर्न्तगत कृषकों से प्राप्त पत्रावलियों पर अनुदान भुगतान हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है।

राज्य के अधिकांश जिलों में भूमिगत जल लगभग 400 से 500 फीट गहरा है एवं इतनी गहराई से जल निकासी हेतु 20–30 हार्स पॉवर विधुत चलित मोटर/पम्प की आवश्यकता होती है। ऐसे पम्पों को सीधे ही पाईपलाइन एवं फव्वारा सैटों से जोड़ कर सिंचाई करने में अतिरिक्त दबाव (Pressure) की आवश्यकता होती है जिससे सिंचाई हेतु काम में ली जा रही फव्वारा नोजल की संख्या कम होने के कारण सिंचित क्षेत्र में भी कमी आती है।

जल हौज का चयन व आकार

- जल हौज खेत के सबसे ऊपरी बिन्दु पर स्थानीय उपलब्ध सामग्री द्वारा निर्मित किया जा सकता है।
- जलहौज का न्यूनतम आकार 100 घनमीटर या भराव क्षमता 01 लाख लीटर के साथ आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार निर्धारित माप या कुल आयतन से अधिक किया जा सकता है।
- जल हौज की दीवारों में हल्की ढ़लान तथा दीवारों के बाहरी तरफ मिट्टी का सपोर्ट देने से दीवारों को मजबूती मिलती है।
- जल हौज निर्माण हेतु लोहे के सरियों का उपयोग हौज के कोनों में करना जरूरी है। जिससे हौज में दरार न पड़े। हौज का निर्माण आंशिक रूप से भूमि के अन्दर व आंशिक रूप से भूमि के बाहर होना चाहिए तथा दीवारें टूटे-नहीं इसलिए चारों तरफ से मिट्टी की कच्ची दीवार बनाना तथा कुशल कारीगर द्वारा निर्माण कराना जरूरी है।

अनुदान के लिये पात्रता :–

1. जिन कृषकों के नाम पर भूमि का न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि आधा हैक्टेयर का स्वामित्व है उन कृषकों को ही जलहौज निर्माण हेतु अनुदान देय होगा।
2. कृषक को अनुदान हेतु आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।
3. जल हौज निर्माण का कार्यक्रम **जिला सिंचाई योजना** में अनमोदित कार्यकम के आधार पर लिया जावेगा।
4. जल हौज पर अनुदान नकद या बैक से ऋण लेकर तैयार करने पर ही देय है।
5. सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र होंगे जिसमे आवंटित कुल लक्ष्यो मे से, अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत, लघु/सीमान्त कृषकों को 33 प्रतिशत एवं महिला श्रेणी कृषकों को 30 प्रतिशत भागीदारी हेतु